Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर विकास प्राधिकरण का भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 जून, बुधवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रवीण तत्ववेदी भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भूखण्ड का मौका मुआयना कर आवासीय पट्‌टे का नियमन करवाने की एवज में प्रवीण तत्ववेदी भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा **25 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रवीण तत्ववेदी पुत्र स्व. श्री श्रीगोपाल तत्ववेदी, निवासी 13, शिव शक्ति कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी भू.अ.नि. द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।